an>

Title: Need to increase the criteria of annual income from Rupees One Lakh to Three Lakhs for medical treatment under Prime Minister Relief Fund.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का समय दिया। सरकार द्वारा अल्प आय एवं गरीब रोगियों की असाध्य बीमारी की चिकित्सा हेतु प्रधान मंत्री राहत कोष, राष्ट्रीय आरोग्य निधि एवं स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के लिए वर्षों पूर्व निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा एक लाख रुपये है जो काफी कम है।

ज्ञातव्य है आज की महंगाई में अल्प आय को अपने परिवार की जीविका चलाना भी दुर्लभ हो गया है। यह सर्वविदित है कि इन दिनों इलाज इतना खर्चीला हो गया है कि मध्यवर्गीय अल्प आय के व्यक्ति को असाध्य रोग की चिकित्सा कराना काफी कठिन हो गया है जिससे बहुतायत असाध्य रोगियों को अर्थाभाव में समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो सकने के कारण मृत्यु का शिकार होना पड़ता है, विशेषकर अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतएव जनहित में सरकार से आग्रह है कि आसाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु अधिकतम वार्षिक आय की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का निर्णय सरकार ले। इसके साथ ही आय सीमा के लोगों को बड़ी दुर्घटना में लंबी अवधि तक चलने वाले इलाज एवं अचानक गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की भी चिकित्सा हेतु उपरोक्त सरकारी अनुदान का लाभ प्राप्त होना चाहिए। मैं राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे इसका बहुत बड़ा अनुभव है, मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें समुचित निर्णय ले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को आप निर्देशित करें।